न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–726 / 2014
सी0आई0एस0 संख्या–72 / 2015
निर्णय दिनांक– 23.07.2026

परिशिष्ट–ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–I , दानापुर।
उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर।
सत्र वाद संख्या–726 / 2014
सी0आई0एस0 संख्या–72 / 2015
दानापुर थाना काण्ड संख्याः–291 / 2008
सरकार बनाम कंचन सिंह वगैरह

सूचक	मुन्ना कुमार, पिता–जानो सिंह, मोहल्ला गाभतल गांधीनगर, थाना–दानापुर, जिला–पटना।
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री रामकेश्वर प्रसाद
अभियुक्त	1. कंचन सिंह, पिता स्व0 लक्ष्मण सिंह, सा0–गांधी नगर, गाभतल, थाना–दानापुर, जिला–पटना। 2. नरेश कुमार, पिता श्री रामदेव सिंह, सा0–नासरीगंज, बिस्कुट फैक्ट्री मोड, थाना–दानापुर, जिला–पटना।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री विजय कुमार

परिशिष्ट–बी

अपराध की तिथि	11.10.2008
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	11.10.2008
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	17.12.2008
संज्ञान की तिथि	30.04.2014
आरोप गठन की तिथि	17.11.2014
साक्ष्य आरम्भ होने की तिथि	16.03.2015
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	लागू नहीं
निर्णय की तिथि	23.07.2026
दण्ड सुनाने की तिथि यदि कोई हो	लागू नहीं

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–726/2014
सी0आई0एस0 संख्या–72/2015
निर्णय दिनांक– 23.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–428 दं0 प्र0 सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के क्रम में दिया गया दण्ड
1.	कंचन सिंह	13.10.2012	लागू नहीं	धारा– 341, 323, 342, 307/34 भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं
2	नरेश कुमार	14.10.2008	27.11.2008	धारा– 341, 323, 342, 307/34 भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट–सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा पक्ष/न्यायालय के साक्षियों की सूची

अ–अभियोजन साक्ष्य

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	अखिलेश्वर प्रसाद सिंह	अन्य साक्षी
2.	राम प्रसाद सिंह	अन्य साक्षी
3.	ईश्वर चन्द्र प्रसाद	अन्य साक्षी
4.	मुन्ना कुमार	सूचक

ब–प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी, यदि हो तोः–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–726/2014
सी0आई0एस0 संख्या–72/2015
निर्णय दिनांक– 23.07.2026

कुछ नहीं	कोई नहीं	लागू नही

स–न्यायालय साक्षी, यदि कोई होः–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कुछ नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं

अभियोजन पक्ष/प्रतिरक्षा पक्ष/न्यायालय प्रदर्शः–

अ–अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1	रिटर्न रिपोर्ट

ब–प्रतिरक्षा पक्ष के प्रदर्श यदि हो तोः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं

स–न्यायालय प्रदर्श यदि हो तोः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रतिरक्षा प्रदर्श	कुछ नहीं

डी–वस्तु प्रदर्श यदि हो तोः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं	कुछ नहीं

4

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–726/2014
सी0आई0एस0 संख्या–72/2015
निर्णय दिनांक– 23.07.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तों कंचन सिंह एवं नरेश कुमार के विरूद्ध **भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 342, 307/34** के अंतर्गत आरोपों का निर्धारण कर विचारण किया गया है। प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण कंचन सिंह एवं नरेश कुमार के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

2. इस वाद में सूचक मुन्ना कुमार सिंह का फर्द बयान, जो कि सूचक ने अपने फर्दबयान में कहा कि दिनांक 11.10.2008 को रात्रि लगभग 8:00 बजे प्रतिमा विसर्जन के उपरांत वह अपनी मां के लिए दवा लाने जब राज नारायाण के द्वार के पास पहुंचा था, उसी समय उसके मोहल्ले के कंचन सिंह, अशोक सिंह तथा नरेश कुमार जो कि कंचन सिंह के रिश्ते में दामाद लगते हैं ने एकजुट होकर उसे पटक दिया तथा लात–घूंसें से मारपीट की, जिससे वह गिर पड़ा। जब वह चिल्लाने लगा, तब कंचन सिंह ने पास में रखा पत्थर उठाकर जान से मारने की नीयत से उसके माथे पर दोनों हाथों से प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर होकर घायल हो गया। शोर सुनकर आस–पास के लोग एवं उसके परिजन वहां पहुंच गए और बीच–बचाव कर उसे बचाया। इसके बाद ईलाज एवं रिपोर्ट हेतु उसे थाना ले गए। सूचक के अनुसार उक्त घटना का कारण उसकी पुश्तौनी जमीन है, जिसे अभियुक्त अपने कब्जे में लेना चाहता था।

3. प्रस्तुत वाद में सूचक के फर्दबयान के आधार पर दानापुर थाना कांड संख्या–291/2008 अंतर्गत भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 337, 307/34 के अंतर्गत पंजीकृत कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाये जाने पर धारा भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 342/34 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। तदुपरांत, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा आरोप पत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 342, 307/34 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दानापुर के द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–726/2014
सी0आई0एस0 संख्या–72/2015
निर्णय दिनांक– 23.07.2026

स्थानांतरण के पश्चात् विभिन्न न्यायालयों से होते हुए निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अभिलिखित किया गया, जिससे अभियुक्तों ने घटना कारित करने से इनकार किये तथा बचाव में अपने को निर्दोष बताया।

5. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है?

मन्तव्य

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल 4 साक्षियों में से साक्षी संख्या 1 अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, साक्षी संख्या 2 रामकुमार सिंह एवं साक्षी संख्या 3 ईश्वर चंद्र प्रसाद को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, क्योंकि उन्होंने वाद का समर्थन नहीं किया है। साक्षी संख्या 4 मुन्ना कुमार जो इस वाद के सूचक है, ने भले ही अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया है, परंतु अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा 2 में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने घटना के दिन ही सूचक एवं उनके परिवार के विरूद्ध दानापुर थाना कांड संख्या 292/08 दर्ज करवाया था तथा पैरा 4 में उन्होनें यह भी स्वीकारा है कि सूचक के भाई ने अभियुक्तों के विरूद्ध दानापुर कांड सख्या 199/2010 दर्ज किया था। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच केस एवं काउंटर केस है। पैरा 6 में इन्होंने कई गवाहों के द्वारा घटना देखे जाने का वर्णन किया है, परंतु इनमें से कोई भी व्यक्ति इस वाद में गवाह नहीं है। इन्होंने यह भी कहा है कि इन्हें याद नहीं है कि दरोगा जी घटना स्थल पर गए थे या नहीं। पैरा 9 में भी इन्होंने कुछ चक्षु साक्षियों का नाम लिया है, जिनमें से किन्हीं का भी परीक्षण अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। पैरा 10 में इन्होंने कहा है कि इन्हे ंयाद नहीं है कि लिखित आवेदन में अपने घर वालो का नाम इन्होंने लिखा था या नहीं। ऐसी परिस्थिति में इस साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से अकाट्य एवं स्थिर प्रतीत नहीं होता है। इस वाद में पत्थर से मारकर सर पर जख्म करने का आरोप लगाया गया है, परंतु चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य अभियोजन के द्वारा नहीं करया गया है, जबकि जख्मों को साबित करने के लिए इनका साक्ष्य अत्यंत ही आवश्यक था। अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–726/2014
सी0आई0एस0 संख्या–72/2015
निर्णय दिनांक– 23.07.2026

की गवाही भी नहीं कराई गई है। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र सूचक के साक्ष्य पर न्यायालय पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में साक्षी का साक्ष्य मूल्यहीन हो जाता है। कोई अन्य साक्ष्य या साक्षी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियुक्तगण कंचन सिंह एवं नरेश कुमार के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 342, 307/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

8. अतः अभियुक्तगण **कंचन सिंह एवं नरेश कुमार** को भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 342, 307/34 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण को व्यक्तिगत बंधपत्र से एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित, शुद्धिकृत,

sd/-

(श्री कुमार गुंजन),
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर ।
दिनांक 23 जुलाई, 2026.

लेखापित, शुद्धिकृत,

sd/-

(श्री कुमार गुंजन),
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर।
दिनांक 23 जुलाई, 2026.